सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-307/2022 दिनांक- 17-सितम्बर-2022

प्रेस विज्ञप्ति

थाना अतरौलिया

चोरी की घटना का अनावरण; चोरी गये ट्यूबवेल विद्युत मोटर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व का विवरण- दिनांक- 16.09.2022 को वादी श्री विनोद कुमार वर्मा पुत्र स्व0 श्रीरामसूरत वर्मा निवासी मादेपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि दिनाँक- 27.08.22 को सिंचाई हेतु लगा मोटर अज्ञात चोर द्वारा चुरा ले गये है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 324/22 धारा 379 IPC थाना अतरौलिया जिला आजमगढ बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया था। जिसमें दौराने विवेचना ट्यूबवेल विद्युत मोटर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त निखिल पुत्र उदयभान वर्मा निवासी मादेपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश में लाते हुए धारा 411 IPC की बढ़ोत्तरी की गयी।

2. गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 17.09.22 को उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त निखिल पुत्र उदयभान वर्मा निवासी मादेपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ को मखनहा तिराहे के पास से समय 10.05 बजे गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से चोरी गये ट्यूबवेल विद्युत मोटर CRI SL NO 10417J18344 CLASS "B" HP/KW2.0/15 को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 324/22 धारा 392/411 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. निखिल पुत्र उदयभान वर्मा निवासी मादेपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ।

पूर्व का आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी – एक अदद ट्यूबवेल विद्युत मोटर (CRI SL NO 10417J18344 CLASS "B" HP/KW2.0/15)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव 2. का0 रणविजय 3. का0 सत्यप्रकाश यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना-जीयनपुर

झाड़-फूंक के नाम पर किशोरी के साथ छेडखानी व रूपये लेने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक- 07/08/2022 को थाना जीयनपुर क्षेत्र की एक महिला ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी गयी कि विपक्षी कमलेश राय द्वारा वादिनी को विश्वास मे लेकर उसकी पुत्री उम्र 17 वर्ष को पुत्री के उपर बाधा बताकर इलाज करने को कहते हुए छेड़खानी किया गया तथा 90,000 (नब्बे हजार रुपये) लिया गया तथा ठीक न होने पर पैसा वापस माँगने पर धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 497/2022 धारा 354/506/406 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 17/09/2022 को उ.नि. सौरभ कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कमलेश राय पुत्र स्व0 रामनाथ राय ग्राम गेरुवा मकसूदपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर को रजादेपुर चौराहे के पास से समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 497/2022 धारा 354/506/406 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त –

कमलेश राय पुत्र स्व0 रामनाथ राय ग्राम गेरुवा मकसूदपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.उ.नि. सौरभ कुमार सिंह का0 धनन्जय राय का0 संदीप कुमार थाना कोतवाली जीयनपुर, आजमगढ़।

थाना कोतवाली
वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- 1. वादी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित सूचना दिया गया कि दिनांक- 15.9.2022 को समय 8 *AM* पर वादी को सुचना मिली कि आप की बहन फाँसी लगाकर मर गई है। सुचना पर मौके पर हम लोग पहुचे तो जानकारी हुई कि चन्दन गौड़ पुत्र सुबाष गौड़ ग्राम मोखलिशपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ जिसका मेरी (वादी) की बहन से पहले ही सम्बन्ध था और घटना के समय भी ये दोनो एक ही कमरे मे थे मेरी बहन को चन्दन गौड़ ने ही मारा है। जिसके आधार पर थाना कोतवाली पर मु.अ.स. 446/*22* धारा 302 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा किया जा रहा था विवेचना से अभियोग उपरोक्त मे धारा 302 भादवि के पुष्टिकारक साक्ष्य न पाये जाने व धारा 306 भादवि के अपराध के कारण अभियोग उपरोक्त धारा 302 भादवि से धारा 306 भादवि मे तरमीम किया गया था विवेचना जारी है।

दिनांक 17.9.22 को प्रभारी निरीक्षक शशी चन्द चौधरी मय हमराह निरीक्षक अपराध राजेश कुमार , उ.नि. संजय सिंह मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा चेकिग के दौरान बागेश्वर नगर तिराहा के पास से आज दिनांक 17.9.2022 को समय 11.20 बजे मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चन्दन गौड उर्फ अमित पुत्र सुभाष गौड निवासी ग्राम मोखलिशपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ को गिरफ्तार किया गया अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग
1. मु0अ0सं0 446/22 धारा 306 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -
चन्दन गौड उर्फ अमित पुत्र सुभाष गौड निवासी ग्राम मोखलिशपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –
1.श्री शशी चन्द चौधरी – प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली
2.नि.अपराध राजेश कुमार उ0नि0 संजय कुमार सिंह का0 राहुल राम का0 रवि कुमार शाह थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना रानी की सराय
लड़कियों/महिलाओं को देखकर अश्लील गानें व अश्लिल शब्दों का प्रयोग करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक- 17.09.2022 को प्रभारी निरीक्षक श्री नन्द कुमार तिवारी के नेतृत्व में हे0का0 मुलायम सिंह यादव मय हमराही हे0का0 प्रदीप पाण्डेय, का0 आलोक कुमार व म0आ0 रुबी मे भ्रमणशील थे कि भ्रमण के दौरान सूचना मिली की ग्राम खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ मे कुछ नवयुवक शौच जाने वाले रास्ते एंव सुनसान रास्ते पर बैठकर आने जाने वाली गाँव की लड़कियों/महिलाओं को देखकर अश्लील गाने व फबती कसते है तथा अश्लील शब्द का प्रयोग करते है । मौके पर पुलिस बल व एन्टिरोमियों की टीम पहुची तो देखा कि 03 लडके खैरा सुनसान सड़क पर आने जाने वाले महिलाओ/बालिकाओं को देखकर अश्लील गाना व अश्लील शब्दो का प्रयोग कर रहे थे जिसको मौके पर पड़क कर नाम पता पूछा तो पहले ने अपने नाम रिषभ सिंह पुत्र वृषकेतु निवासी ग्राम जयसिंहपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ बताया दुसरे ने अपना नाम अखिल सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी ग्राम खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ बताया तिसरे ने अपना नाम अमन यादव पुत्र श्यामधार उर्फ कोड़ई यादव निवासी ग्राम खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उक्त तीनो व्यक्तियो को समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स 305/2022 धारा 294 भादवि पंजीकृत कर अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान – बहद ग्राम खैरा , दिनांक 17.09.2022 समय 12.05 बजे

गिरफ्तार अभियुक्त
(1) रिषभ सिंह पुत्र वृषकेतु निवासी ग्राम जयसिंहपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
(2) अखिल सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी ग्राम खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
(3) अमन यादव पुत्र श्यामधार उर्फ कोड़ई यादव निवासी ग्राम खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0स0 305/2022 धारा 294 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –
(1) हे0का0 मुलायम सिंह यादव थाना रानी की सराय आजमगढ़
(2)हे0का0 प्रदीप पाण्डेय) का0 आलोक कुमार म0आ0 रुबी थाना रानी की सराय आजमगढ़

थाना अतरौलिया

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

1. पूर्व का विवरण- अभियुक्त रोहित मधेसिया पुत्र श्रवण मधेसिया सा0 अतरैठ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा वादिनी/पीड़िता को शादी का झांसा देकर यौन उत्पीडन करना व गर्भपात कराना तथा भद्दी-भद्दी गालिया देते हुए जाति सूचक शब्दो का प्रयोग किया गया, जिस पर वादिनी/पीड़िता की लिखित तहरीर पर दिनांक 06.05.2022 को मु0अ0सं0 120/22 धारा 313/376/504 IPC व 3(2)V SC SCT ACT थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ बनाम रोहित मद्धेशिया पुत्र श्रवण मद्धेशिया निवासी अतरैठ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था। जिसमें घटनास्थल थाना अतरौलिया क्षेत्र का होने के कारण विवेचना थाना कन्धरापुर से थाना अतरौलिया पर दिनांक 15.09.2022 को मुकदमा उपरोक्त को स्थानान्तरित किया गया। जिसकी विवेचना वर्तमान क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

2. गिरफ्तारी का विवरणः- आज दिनांक 17.09.22 को प्रभारी निरीक्षक श्री नदीम अहमद फरीदी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त रोहित मद्धेशिया पुत्र श्रवण मद्धेशिया निवासी अतरैठ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को उसके निवास स्थान अतरैठ से समय करीब 12.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 322/22 धारा 313/376/504 IPC व 3(2)V SC SCT ACT थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. रोहित मद्धेशिया पुत्र श्रवण मद्धेशिया निवासी अतरैठ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक नदीम अहमद फरीदी 2. का0 राजू यादव 3. का0 दीपक यादव 4. म0का0 अल्पना शर्मा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना- सरायमीर

आज दिनांक- 17.09.2022 को अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट नम्बर 04, आजमगढ़ द्वारा थाना सरायमीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-122/2014 धारा 147/308/323/325/352/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अवध राज पुत्र कोमल, 2. अंगद पुत्र कोमल, 3. इन्दल पुत्र कोमल, 4. रामनगीना पुत्र कोमल साकिनान फरीदुनपुर, थाना सरायमीर आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्तों को 03 वर्ष के कारावास व 02-02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को 03-03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से भुगतना होगा।